

2025/579

निर्णय
15.7.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
राकेशकुमार आदि बनाम बंदीप्रसाद आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 259 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
26.06.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 04.07.2025 को पेश हो।	
27.6.2025	वकील पुरखी वही ने प्लावना- पत्र मित्राल पेकी पेश करते पर पत्रावली के पेकी में लिखागामा कुकुलाए फरिडेन उपरिपतल वही व पुरखी वही से राजीनामा पेश किया जिसे बाद तल्बिक शामिल फरिल किया पत्रावली वास्ते स्टेट जकार हाईको तारीख 4.7.2025 को पेश हो।	पुरेश कुमार राकेश कुमार प नॉर जज B.K.R. मकुदेवी प.कल *
4.7.2025	कुकुलाए फरिडेन उपरिपतल स्टेट जकार प्राप्त हुकाव है। पत्रावली फरिलिगाल। 15.7.2025	
15.7.2025	कुकुलाए फरिडेन उपरिपतल स्टेट जकार प्राप्त हुकाव वरुस सुमीगती पत्रावली का अवली कल किया गता पत्रावली पर उपरुक्त रिवाही व वही पुरखी वही से राजीनामा से आदर पर बाद वही डिक्टी किया जाता है। पूर्ण विकरन सहित निर्णय अन्त के लिखपा जकर शामिल फरिल किया जकी पत्रावली नामा के काम की जाकर बाद तल्बिक तल्बगील जाकर हाइको ल हफाल हो।	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

